संख्या–3421/26–3–2010–10(10)/2005

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 19 अक्टूबर 2010

विषयः– समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के आगणनों में मिट्टी भरायी के कार्य का सत्यापन।

महोदय,

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा 57 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में अनुसूचित जाति के बालक/बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, आवासीय सुविधा, भोजन, वस्त्र आदि की सुविधा ही नहीं दी जाती है बल्कि इन विद्यालयों को संचालित करने का उददेश्य निर्धन वर्ग के बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु शिक्षित करते हुए सर्वागींण विकास करना है।

2– यद्यपि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के निर्माण हेतु प्रयोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के माध्यम से उसकी संरचना और लागत का मानकीकरण करा लिया गया है तथापि समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के पुनरीक्षित आगणनों में भूमि तल नीचा होने के कारण भराई का अतिरिक्त कार्य निहित होने के कारण अतिरिक्त धनराशि मिट्टी भरायी के कार्यो में व्यय होनी है। अतः शासन द्वारा इस उददेश्य से कि ऐसे कार्यो की समुचित उपादेयता का सत्यापन करने तथा पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान किए जाने पर विचार करने के पूर्व ऐसे निर्माण कार्यो में मिट्टी भरायी की भौतिक मात्रा के आंकलन एवं सत्यापन हेतु लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा समाज कल्याण निर्माण निगम के अधिशासी अभियंताओं की तकनीकी समिति गठित की जाती है जो प्रश्नगत कार्यो को पूर्ण करने हेतु मिटटी भराई के वस्तुपरक सत्यापन के उपरान्त यह संस्तुति करेगी कि प्रश्नगत कार्य में मिट्टी भराई के कार्य की अपरिहार्यता है और तदनुसार अतिरिक्त मिट्टी भराई के कारण कितना अतिरिक्त व्यय इस पर आयेगा ।

कृपया तदनुसार कार्यवाही शीघ्र कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3421(1)/26–3–2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0,लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम को उनके पत्र संख्या–5084/6–3(68)ए0टी0एस0 सामान्य/2010, दिनांक 14–9–2010 के कम में।
3. सलाहकार समाज कल्याण विभाग उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव